



राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssaquality@gmail.com

Phone No. 0141-2701596

क्रमांक:-राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/पीईआरो/2017-18/ १८५५
संक्षा-।

दिनांक : २३.०१.१७

कार्यालय आदेश


राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.15(1) राप्राशिप/संस्थापन/ 2017/जयपुर दिनांक 07.02.2017 द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEOs) को सर्व शिक्षा अभियान योजना हेतु जारी कार्यन्वयन के कार्यतंत्र अनुसार "संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (CRCF) घोषित किया गया है" एवं ग्रामीण क्षेत्र में नोडल प्रधानाध्यापक व्यवस्था को समाप्त कर PEEOs को ही संबंध कार्यों का दायित्व दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में कार्यरत सीआसीएफ/नोडल द्वारा ही पूर्ववत् उत्तरदायित्व निभाया जाना है। अतः पूर्व में जारी आदेशों के अतिक्रमण में सीआसीएफ के रूप में दायित्वों का निम्नानुसार पुनर्निर्धारण किया जाता है:—

1.0 शैक्षिक गुणवत्ता —

- 
- 1.1 एसआईक्यूइ कार्यक्रम की विद्यालयवार समीक्षा एवं प्रगति पर चर्चा व आगामी कार्य योजना निर्माण।
 - 1.2 कक्षा अवलोकन के समय विद्यार्थी आकंलन रिपोर्ट अनुसार दिशा-निर्देशों की पालना।
 - 1.3 कक्षावार विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर सुधार हेतु कार्य योजना निर्माण पर चर्चा।
 - 1.4 विद्यालय के निर्धारित लक्ष्य अनुसार नामांकन एवं ठहराव समीक्षा।
 - 1.5 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित समरत शैक्षिक, सहशैक्षिक एवं भौतिक गतिविधियों के संचालन हेतु कार्ययोजना बनाकर दिशा निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित करवाकर मॉनीटरिंग करना।
 - 1.6 अधीनस्थ विद्यालयों की भौतिक स्थिति एवं संस्थापन से संबंधित दस्तावेज तैयार करवाना।
 - 1.7 विद्यालयों से समन्वयन स्थापित कर सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय से प्राप्त सामग्री का आवश्यकतानुसार/दिशा निर्देशों के अनुसार वितरण करवाया जाना।

2.0 विद्यालय पर्यवेक्षण —

- 2.1 विद्यालय अवलोकन दौरान दिए गए निर्देशों की पालना।
- 2.2 मिड-डे-मिल कार्यक्रम की मासिक समीक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- 2.3 विद्यालय क्षेत्राधिकार में शिक्षा से वंचित एवं छापआउट बच्चों की शिक्षा से जुड़ाव बाबत समीक्षा।
- 2.4 विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा।
- 2.5 निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के बिन्दुओं की पालना।
- 2.6 प्रत्येक माह में अनिवार्य रूप से उत्कृष्ट विद्यालय का माह में एक बार एवं शेष विद्यालयों का 2 माह में एक बार कक्षागत शिक्षण कार्य सहित आवश्यकतानुसार अवलोकन।



- 2.7 प्रतिमाह अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित कर शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति समीक्षा करना।
- 2.8 सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों के संचालन हेतु अधिनस्थ विद्यालयों में प्रभारी तय करना।
- 2.9 अधीनस्थ विद्यालयों में एसएमसी का गठन एवं उनकी बैठकों की मॉनीटरिंग करना।

3.0 शैक्षिक प्रबन्धन/शैक्षिक पर्यवेक्षण

- 3.1 विद्यालयों में स्टाफ की उपलब्धता।
- 3.2 स्टाफ द्वारा शैक्षिक प्रगति हेतु किए गए प्रयासों की समीक्षा।

4.0 विद्यालय विकास योजना –

- 4.1 उत्कृष्ट विद्यालय योजना मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों की पालना।
- 4.2 शाला सिद्धि पोर्टल पर दर्ज विद्यालय विकास योजना बिन्दुओं की समीक्षा करते हुए पालना करवाना।
- 4.3 विद्यालयवार आगामी माह की कार्य योजना निर्माण (शैक्षणिक गुणवत्ता एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु)।
- 4.4 विद्यालय विकास एवं आधारभूत सुविधाओं (कक्षा कक्ष, पेयजल/शौचालय, चार दीवारी/विद्युत कनेक्शन/खेल मैदान/भवन हेतु भूमि आवंटन एवं खेल मैदान का विकास की समीक्षा एवं उपलब्धता हेतु प्रयास।
- 4.5 संदर्भ कक्षों का नियमित अवलोकन।

5.0 वित्तीय प्रबन्धन –

- 5.1 संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (CRCF) का पृथक से कोई अपना बैंक खाता नहीं होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के बैंक खाते को संधारित कर उपयोग करवाना।
- 5.2 एस.एम.सी. खाते की पृथक से कैश बुक एवं अन्य दस्तावेजों का संधारण करवाना।
- 5.3 सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालयों को जारी की गई समस्त अनुदान राशियों (यथा SFG, M&R, TLM, सेनिटेशन ग्रांट एवं अन्य विविध अनुदान एवं प्राप्त राशियों का समुचित उपयोग विद्यालयों द्वारा करवाते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाना।
- 5.4 एसएफसी/एफएफसी/मनरेगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं से विद्यालयों के विभिन्न कार्यों के पेटे राशि स्वीकृति की समीक्षा।
- 5.5 विद्यालय विकास के लिए सहयोग राशि प्राप्त करने हेतु अभिभावकों, भामाशाहों, दानदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित कर सहयोग प्राप्त करवाना। सीएसआर के तहत संबंधित एजेन्सियों से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त करना/करवाना।

6.0 विभागीय कार्यक्रम/गतिविधियों की समीक्षा

- 6.1 विभागीय गतिविधिवार प्रगति की समीक्षा।
- 6.2 एसएमसी सदस्यगण एवं अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण।

20/9/2023

7.0 पोर्टल एवं अन्य विभागीय सूचनाएं / एमपीआर –

- 7.1 विद्यालयों में संबंधित विभिन्न प्रकार की सभी सूचनाओं का संधारण करवाकर अपडेशन करवाना (यथा-यू-डाइस, शाला दर्शन, शाला सिद्धी QMT (SMF) आदि) एवं विद्यालय अवलोकन प्रपत्रों को भरकर ऑनलाईन फीड करवाना।
- 7.2 एसएसए की विभागीय सूचनाओं का सम्प्रेषण।
- 7.3 उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं एमपीआर प्रेषित करना।

8.0 अभिप्रेरणा / नवाचार

- 8.1 विद्यालयों में किए गए नवाचारों पर चर्चा।
- 8.2 संख्या प्रधानों के साथ नवाचारों को साझा करना।

9.0 अन्य बिन्दु

- 9.1 ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCF) से समन्वयन करना।
- 9.2 विद्यालयों से संबंधित समस्त सूचनाएं BRCF को उपलब्ध करवाना।
- 9.3 उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित मासिक "ब्लॉक शिक्षा निष्पादन समिति" की बैठक में भाग लेना। इस बैठक का समन्वयन BRCF (BEOs) द्वारा किया जायेगा।



२६
(जी. जोगा राम)
आयुक्त

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/पीईईओ/2017-18 १४७६
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

दिनांक : २५.१.१८


1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना समन्वयक, रामाशिप, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सचिव, एसआईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप, जयपुर।
8. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा/एसएसए, समस्त जिले।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा/एसएसए, समस्त जिले।
10. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
11. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEOs), समस्त ग्राम पंचायत।
12. रक्षित पत्रावली।

२
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त आयुक्त



राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।



फोन नं. 0141-2712376

क्रमांक: राप्राशिप/जय/ओशि/दिशा निर्देश/CRC/2017-18/ ३६८

फैक्स नं. 0141-2701822

दिनांक १२/२/२०१८

दिशा—निर्देश सत्र 2017-18

संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान (CRC Grant)

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017-18 में संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) हेतु बजट प्रावधान किया गया है। जिलेवार वार्षिक कार्य योजना में प्रावधान का विवरण संलग्न है जिनकी ईकाई लागत प्रत्येक सीआरसी हेतु निम्न प्रकार

कन्टीन्जेन्सी ग्रान्ट	2,878 रुपये वार्षिक
मीटिंग व टी.ए.	3,455 रुपये वार्षिक

इस प्रकार सीआरसी हेतु कुल राशि 676.28 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.15(1)प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 28.01.2017 की अनुपालना में 9894 ग्राम पंचायतों के माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान को पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) नामित किया गया है एवं आदेश क्रमांक प.15(1)प्राशि/संस्थापन/2017/जयपुर दिनांक 07.02.2017 द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEOs) को सर्व शिक्षा अभियान योजना हेतु जारी कार्यन्वयन के कार्यतंत्र अनुसार "संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (CRCF) घोषित किया गया है"। ग्रामीण क्षेत्र में नोडल प्रधानाध्यापक व्यवस्था को समाप्त कर PEEOs को ही संबंध कार्यों का दायित्व दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में कार्यरत सीआरसीएफ/ नोडल द्वारा ही पूर्ववत् उत्तदरायित्व निभाया जाना है। इस प्रकार राज्य सरकार के आदेश अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के 9894 आदर्श विद्यालयों को PEEO/ संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) एवं 784 शहरी क्षेत्र के विद्यालयों को नोडल/ सीआरसी का काम ग्राहा गया है। उक्त ग्रान्ट्स ब्लॉक कार्यालयों को भेजते हुए CRC/ PEEO विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रावधानानुसार राशि हस्तान्तरण भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जावे। 10,678 सीआरसी को कन्टीन्जेन्सी के तहत प्रति सीआरसी 2,878/- रुपये एवं मीटिंग व टी.ए हेतु 3,455/- रुपये, इस प्रकार कुल 6,333/- रुपये प्रति सीआरसी हस्तान्तरित की जानी है। संक्षेप में निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :—

- PEEO की सूची एवं उनके SMC खातों की सूचना "ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी" द्वारा शाला दर्शन पोर्टल से अथवा संबंधित कार्यालयों से प्राप्त कर लेवें।
- पूर्व की नोडल प्रभारी/ सीआरसी व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अतः BEEO द्वारा पूर्व के इन सीआरसी/ नोडल कार्यालयों एवं उनके SMC खातों से पूर्व में जारी राशियों का मिलान कर सूचना जिला कार्यालयों के माध्यम से भेजना सुनिश्चित किया जाए।

- मीटिंग, टी.ए ग्रान्ट्स में से CRC / PEEO प्रधानाध्यापकों के ब्लॉक पर मीटिंग में उपस्थित होने पर नियमानुसार टी.ए. डी.ए. का भुगतान आहरण कर सकेंगे। प्रति CRC / PEEO हेतु उक्त मद में राशि 3455/- रुपये का प्रावधान है। मीटिंग की संख्या लगभग 10 (वार्षिक)।
- कन्टीन्जेन्सी ग्रान्ट 2878/- रुपये प्रति CRC / PEEO हेतु वितरित करना। इस राशि में से सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष द्वारा फीडिंग एवं मॉनिटरिंग का खर्च शामिल है। इन व्ययों का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान की रोकड़ वही में इन्ड्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्य करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
- CRC / PEEO को अपने अधीन विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन प्रदान करने, सूचना प्राप्त करने के लिए विजिट करने पर राजकीय नियमानुसार टीए प्राप्त कर सकेगा, जिसका समायोजन मीटिंग टी.ए. मद में किया जावेगा।
- समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा उपरोक्त राशि का व्यय किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर समयानुसार परिषद् को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 के अनुसार संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान (CRC Grant) सम्बन्धित को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि के साथ–साथ दिशा–निर्देश सम्बन्धित कार्यालयों/विद्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं, साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित समयानुसार प्रतिवेदन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करावें। समयबद्ध कार्ययोजना निम्नानुसार है—

क्र.सं.	अनुदान	जारी करने का माह	परिषद् को रिपोर्ट करने का माह
1	संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान (CRC Grant)	जून/ जुलाई	अगस्त से प्रति माह

विशेष :—

- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेण्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

उपयोगिता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि CRC / PEEO / नोडल(CRC / PEEO / नोडल का नाम) को सत्र..... में प्राप्त राशि रु. का उपयोग निम्नानुसार कर लिया है।

क्र. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि		खर्च की गई राशि		शेष राशि	
		कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.

हस्ताक्षर
नोडल प्रभारी / PEEO / CRC

कार्यालय ब्लॉक जिला
संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान
उपयोगिता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में ब्लॉक जिला को CRC / PEEO / नोडल को जारी की गई संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधानों द्वारा संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान हेतु परिषद् में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यूसी प्रति माह प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण संलग्न कर प्रस्तुत है—

क्र. सं.	माह का नाम	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	CRC / PEEO / नोडल को प्राप्त राशि	CRC / PEEO / नोडल द्वारा व्यय राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर
संदर्भ व्यक्ति

हस्ताक्षर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

जिला स्तर
संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान
उपयोगिता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में जिला को संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये में से सीआरसी (विद्यालयों) को राशि जारी की गई एवं राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा MPR में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

PM61 S

2/6

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार हैः—

Academic Support through Cluster Resource Centres Budget 2017-18

Districtwise CRC (Rural & Urban)

S.No.	District Name	Rural CRC (PEEO)	Urban CRC (Nodal)	Total CRC (PEEO / Nodal)	Contingency Grant (Rs. 2878/- per CRC) (Rs. In Lac.)	Meeting TA (Rs. 3455/- per CRC) (Rs. In Lac.)	Total
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (6+7)
1	Ajmer	282	62	344	9.90	11.89	21.79
2	Alwar	512	40	552	15.89	19.07	34.96
3	Banswara	346	7	353	10.16	12.20	22.36
4	Baran	221	10	231	6.65	7.98	14.63
5	Barmer	489	4	493	14.19	17.03	31.22
6	Bhartpur	374	21	395	11.37	13.65	25.02
7	Bhilwara	384	25	409	11.77	14.13	25.90
8	Bikaner	290	27	317	9.12	10.95	20.08
9	Bundi	183	13	196	5.64	6.77	12.41
10	Chittoregarh	290	17	307	8.84	10.61	19.44
11	Churu	254	52	306	8.81	10.57	19.38
12	Dausa	234	10	244	7.02	8.43	15.45
13	Dholpur	171	16	187	5.38	6.46	11.84
14	Dungarpur	291	7	298	8.58	10.30	18.87
15	Ganganagar	336	31	367	10.56	12.68	23.24
16	Hanumangarh	251	29	280	8.06	9.67	17.73
17	Jaipur	532	67	599	17.24	20.70	37.93
18	Jaisalmer	140	7	147	4.23	5.08	9.31
19	Jalor	274	13	287	8.26	9.92	18.18
20	Jhalawar	252	5	257	7.40	8.88	16.28
21	Jhunjhunu	301	19	320	9.21	11.06	20.27
22	Jhodhpur	466	62	528	15.20	18.24	33.44
23	Karauli	227	9	236	6.79	8.15	14.95
24	Kota	155	97	252	7.25	8.71	15.96
25	Nagaur	467	21	488	14.04	16.86	30.91
26	Pali	321	30	351	10.10	12.13	22.23
27	Pratapgarh	165	4	169	4.86	5.84	10.70
28	Rajsamand	207	9	216	6.22	7.46	13.68
29	Sawai Madhopur	200	12	212	6.10	7.32	13.43
30	Sikar	343	20	363	10.45	12.54	22.99
31	Sirohi	162	13	175	5.04	6.05	11.08
32	Tonk	230	13	243	6.99	8.40	15.39
33	Udaipur	544	12	556	16.00	19.21	35.21
Total		9894	784	10678	307.31	368.92	676.24

(डॉ. जीगा राम)

आयुक्त

दिनांक- ५/७/१७

क्रमांक:- राप्राशिप/जथ/ओ.सि./दिशा-निर्देश/CRC/2017-18/ 3602

प्रतिलिपि :-

1. निजी संचिव, शासन संचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी संचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निर्देशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के सम्बन्धित उपयोग हेतु उपनिदेशकों/ जि.सि.अ./ बीईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करायें।
4. नियन्त्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिनाम 6 तारीख तक राप्राशिप, जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करायें।
6. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
7. रहित पत्रावली।

झौमेट
(बृंज मोहन नागिया)
उपायुक्त

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

बॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, बौद्धक-५, जवाहर लाल नेहरू गार्ड,
जयपुर-३०२०१७

दूरभाष नं.०१४१- २७१२३७६

Email- rajssa_as@yahoo.co.in

क्रमांक:- सरकूलशिप/जय/वै.शि./पिशा-पिरेश/CRC/2018-19/ ७३२३

दिनांक:- ८/१०/१८

दिशा-निर्देश

संकुल संदर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant)

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2018-19 में 10424 पीईईओ एवं शहरी नोडल (सीआरसी) को संकुल संदर्भ केन्द्र के कार्य संचालन बाबत सीआरसी ग्रान्ट का प्रावधान किया गया है। जिलेवार वार्षिक कार्य योजना में प्रावधान का विवरण संलग्न है। जिनकी ईकाई लागत प्रत्येक संकुल संदर्भ केन्द्र कार्यालय हेतु निम्न प्रकार हैः-

कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट	11,389 रुपये वार्षिक
मीटिंग व टी.ए	9,491 रुपये वार्षिक
टीएलएम ग्रान्ट	2,847 रुपये वार्षिक

इस प्रकार प्रति सीआरसी कुल राशि रुपये 23,727 वार्षिक की दर से राशि रुपये 2473.29 लाख का अनुमोदन किया गया है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं शहरी क्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा के समस्त शहरी नोडल कार्यालयों को संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) का काम सम्पादा गया है। उक्त ग्रान्ट्स अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालयों को भेजते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को उपरोक्तानुसार राशि हस्तान्तरित कर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के शहरी नोडल को प्रावधानानुसार राशि हस्तान्तरित करने हेतु निर्देशित करें। सीआरसी ग्रान्ट के उपयोग के संबंध में संक्षिप्त दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैः-

- मीटिंग व टी.ए ग्रान्ट्स में से संकुल संदर्भ केन्द्र कार्यालय पर मीटिंग हेतु अल्प आहार एवं मीटिंग में उपस्थित होने पर नियमानुसार टी.ए, डी.ए. का भुगतान संबंधित कर्मचारी को किया जा सकेगा।
- कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट 11389 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र के ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को आवंटित की जायेगी। इस राशि में से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष एवं राजकीय कार्यालयों द्वारा करवाये जा रहे २०१८-१९ कार्य जैसे- शाला दर्शन, शाला दर्पण, शाला सिद्धि, आरटीई पोर्टल इत्यादि की प्रविष्टि का व्यय शामिल है। क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर की जाकर व्ययों के भुगतान का इन्द्राज रोकड़ बही में किया जायेगा।
- पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं शहरी नोडल अधिकारी अपने अधीन विद्यालयों में शैक्षिक संबलन प्रदान करने, सूचना प्राप्त करने के लिए विजिट करने पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार एवं राजकीय नियमानुसार वास्तविक टीए का भुगतान प्राप्त करेंगे।
- प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं प्रत्येक शहरी नोडल कार्यालय को अपने अधीनस्थ विद्यालयों के शिक्षकों को संबलन प्रदान करने तथा विज्ञान, गणित व सामाजिक अध्ययन विषय में शैक्षिक नवाचार अपनाने एवं टीएलएम निर्माण हेतु टीएलएम ग्रान्ट 2847 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
- समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक उपर्युक्त राशि का व्यय किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर परिषद् को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रभुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. नियन्त्रक वित्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
6. जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएमएसए, समस्त जिले।
7. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
8. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक



उपयोगिता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पीईईओ/शहरी नोडल
 (पीईईओ/शहरी नोडल का नाम) को सत्र..... में प्राप्त राशि रु. का उपयोग
 निम्नानुसार कर लिया है।

क्र. सं.	आवंटित राशि			खर्च की गई राशि			शेष राशि		
	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम ग्रान्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम ग्रान्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम ग्रान्ट



हस्ताक्षर
पंचायत प्रांरभिक शिक्षा अधिकारी/
प्रधानाध्यापक शहरी नोडल


Academic support through Cluster Resource Center Budget 2018-19
Districtwise CRC (Rural & Urban)

S.No.	District	Rural CRC (PEEOs)	Urban CRC (Nodal)	Total (C+D)	Contingency Grant @ 11389 (In Lac)	Meeting TA@9491 (In Lac)	TLM @ 2847 (In Lac)	Total (F+G+H)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	AJMER	282	62	344	39.180	32.650	9.790	81.620
2	ALWAR	512	19	531	60.480	50.400	15.120	126.000
3	BANSWARA	346	8	354	40.320	33.600	10.080	84.000
4	BARAN	221	7	228	25.970	21.640	6.490	54.100
5	BARMER	489	3	492	56.030	46.700	14.010	116.740
6	BHARATPUR	374	10	384	43.730	36.450	10.930	91.110
7	BHILWARA	384	21	405	46.130	38.440	11.530	96.100
8	BIKANER	290	14	304	34.620	28.850	8.650	72.120
9	BUNDI	183	9	192	21.870	18.220	5.470	45.560
10	CHITTORGARH	290	36	326	37.130	30.940	9.280	77.350
11	CHURU	254	28	282	32.120	26.760	8.030	66.910
12	DAUSA	234	3	237	26.990	22.490	6.750	56.230
13	DHOLPUR	171	5	176	20.040	16.700	5.010	41.750
14	DUNGARPUR	291	5	296	33.710	28.090	8.430	70.230
15	GANGANAGAR	336	18	354	40.320	33.600	10.080	84.000
16	HANUMANGARH	251	13	264	30.070	25.060	7.520	62.650
17	JAIPUR	532	65	597	67.990	56.660	17.000	141.650
18	JAISALMER	140	7	147	16.740	13.950	4.190	34.880
19	JALORE	274	10	284	32.340	26.950	8.090	67.380
20	JHALAWAR	252	5	257	29.270	24.390	7.320	60.980
21	JHUNJHUNU	301	16	317	36.100	30.090	9.020	75.210
22	JODHPUR	466	41	507	57.740	48.120	14.430	120.290
23	KARAULI	227	6	233	26.540	22.110	6.630	55.280
24	KOTA	155	34	189	21.530	17.940	5.380	44.850
25	NAGOUR	467	14	481	54.780	45.650	13.690	114.120
26	PALI	321	18	339	38.610	32.170	9.650	80.430
27	PRATAPGARH	165	2	167	19.020	15.850	4.750	39.620
28	RAJSAMAND	207	4	211	24.030	20.030	6.010	50.070
29	S.MADHOPUR	200	3	203	23.120	19.270	5.780	48.170
30	SIKAR	343	14	357	40.660	33.880	10.160	84.700
31	SIROHI	162	6	168	19.130	15.940	4.780	39.850
32	TONK	230	12	242	27.560	22.970	6.890	57.420
33	UDAIPUR	544	12	556	63.320	52.770	15.830	131.920
TOTAL		9894	530	10424	1187.190	989.330	296.770	2473.290



राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।



फोन नं. 0141-2712376

क्रमांक: राप्राशिप/जय/ओशि/दिशा निर्देश/CRC/2017-18/ ३६८

फैक्स नं. 0141-2701822

दिनांक १२/२/२०१८

दिशा—निर्देश सत्र 2017-18

संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान (CRC Grant)

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017-18 में संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) हेतु बजट प्रावधान किया गया है। जिलेवार वार्षिक कार्य योजना में प्रावधान का विवरण संलग्न है जिनकी ईकाई लागत प्रत्येक सीआरसी हेतु निम्न प्रकार

कन्टीन्जेन्सी ग्रान्ट	2,878 रुपये वार्षिक
मीटिंग व टी.ए.	3,455 रुपये वार्षिक

इस प्रकार सीआरसी हेतु कुल राशि 676.28 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.15(1)प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 28.01.2017 की अनुपालना में 9894 ग्राम पंचायतों के माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान को पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) नामित किया गया है एवं आदेश क्रमांक प.15(1)प्राशि/संस्थापन/2017/जयपुर दिनांक 07.02.2017 द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEOs) को सर्व शिक्षा अभियान योजना हेतु जारी कार्यन्वयन के कार्यतंत्र अनुसार "संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (CRCF) घोषित किया गया है"। ग्रामीण क्षेत्र में नोडल प्रधानाध्यापक व्यवस्था को समाप्त कर PEEOs को ही संबंध कार्यों का दायित्व दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में कार्यरत सीआरसीएफ/ नोडल द्वारा ही पूर्ववत् उत्तदरायित्व निभाया जाना है। इस प्रकार राज्य सरकार के आदेश अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के 9894 आदर्श विद्यालयों को PEEO/ संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) एवं 784 शहरी क्षेत्र के विद्यालयों को नोडल/ सीआरसी का काम ग्राहा गया है। उक्त ग्रान्ट्स ब्लॉक कार्यालयों को भेजते हुए CRC/ PEEO विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रावधानानुसार राशि हस्तान्तरण भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जावे। 10,678 सीआरसी को कन्टीन्जेन्सी के तहत प्रति सीआरसी 2,878/- रुपये एवं मीटिंग व टी.ए हेतु 3,455/- रुपये, इस प्रकार कुल 6,333/- रुपये प्रति सीआरसी हस्तान्तरित की जानी है। संक्षेप में निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :—

- PEEO की सूची एवं उनके SMC खातों की सूचना "ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी" द्वारा शाला दर्शन पोर्टल से अथवा संबंधित कार्यालयों से प्राप्त कर लेवें।
- पूर्व की नोडल प्रभारी/ सीआरसी व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अतः BEEO द्वारा पूर्व के इन सीआरसी/ नोडल कार्यालयों एवं उनके SMC खातों से पूर्व में जारी राशियों का मिलान कर सूचना जिला कार्यालयों के माध्यम से भेजना सुनिश्चित किया जाए।

- मीटिंग, टी.ए ग्रान्ट्स में से CRC / PEEO प्रधानाध्यापकों के ब्लॉक पर मीटिंग में उपस्थित होने पर नियमानुसार टी.ए. डी.ए. का भुगतान आहरण कर सकेंगे। प्रति CRC / PEEO हेतु उक्त मद में राशि 3455/- रुपये का प्रावधान है। मीटिंग की संख्या लगभग 10 (वार्षिक)।
- कन्टीन्जेन्सी ग्रान्ट 2878/- रुपये प्रति CRC / PEEO हेतु वितरित करना। इस राशि में से सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष द्वारा फीडिंग एवं मॉनिटरिंग का खर्च शामिल है। इन व्ययों का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान की रोकड़ वही में इन्ड्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्य करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
- CRC / PEEO को अपने अधीन विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन प्रदान करने, सूचना प्राप्त करने के लिए विजिट करने पर राजकीय नियमानुसार टीए प्राप्त कर सकेगा, जिसका समायोजन मीटिंग टी.ए. मद में किया जावेगा।
- समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा उपरोक्त राशि का व्यय किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर समयानुसार परिषद् को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 के अनुसार संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान (CRC Grant) सम्बन्धित को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि के साथ–साथ दिशा–निर्देश सम्बन्धित कार्यालयों/विद्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं, साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित समयानुसार प्रतिवेदन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करावें। समयबद्ध कार्ययोजना निम्नानुसार है—

क्र.सं.	अनुदान	जारी करने का माह	परिषद् को रिपोर्ट करने का माह
1	संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान (CRC Grant)	जून/ जुलाई	अगस्त से प्रति माह

विशेष :—

- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेण्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

उपयोगिता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि CRC / PEEO / नोडल(CRC / PEEO / नोडल का नाम) को सत्र..... में प्राप्त राशि रु. का उपयोग निम्नानुसार कर लिया है।

क्र. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि		खर्च की गई राशि		शेष राशि	
		कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.

हस्ताक्षर
नोडल प्रभारी / PEEO / CRC

कार्यालय ब्लॉक जिला
संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान
उपयोगिता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में ब्लॉक जिला को CRC / PEEO / नोडल को जारी की गई संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधानों द्वारा संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान हेतु परिषद् में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यूसी प्रति माह प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण संलग्न कर प्रस्तुत है—

क्र. सं.	माह का नाम	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	CRC / PEEO / नोडल को प्राप्त राशि	CRC / PEEO / नोडल द्वारा व्यय राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर
संदर्भ व्यक्ति

हस्ताक्षर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

जिला स्तर
संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान
उपयोगिता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में जिला को संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये में से सीआरसी (विद्यालयों) को राशि जारी की गई एवं राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा MPR में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

PM61 S


2/6

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार हैः—

Academic Support through Cluster Resource Centres Budget 2017-18

Districtwise CRC (Rural & Urban)

S.No.	District Name	Rural CRC (PEEO)	Urban CRC (Nodal)	Total CRC (PEEO / Nodal)	Contingency Grant (Rs. 2878/- per CRC) (Rs. In Lac.)	Meeting TA (Rs. 3455/- per CRC) (Rs. In Lac.)	Total
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (6+7)
1	Ajmer	282	62	344	9.90	11.89	21.79
2	Alwar	512	40	552	15.89	19.07	34.96
3	Banswara	346	7	353	10.16	12.20	22.36
4	Baran	221	10	231	6.65	7.98	14.63
5	Barmer	489	4	493	14.19	17.03	31.22
6	Bhartpur	374	21	395	11.37	13.65	25.02
7	Bhilwara	384	25	409	11.77	14.13	25.90
8	Bikaner	290	27	317	9.12	10.95	20.08
9	Bundi	183	13	196	5.64	6.77	12.41
10	Chittoregarh	290	17	307	8.84	10.61	19.44
11	Churu	254	52	306	8.81	10.57	19.38
12	Dausa	234	10	244	7.02	8.43	15.45
13	Dholpur	171	16	187	5.38	6.46	11.84
14	Dungarpur	291	7	298	8.58	10.30	18.87
15	Ganganagar	336	31	367	10.56	12.68	23.24
16	Hanumangarh	251	29	280	8.06	9.67	17.73
17	Jaipur	532	67	599	17.24	20.70	37.93
18	Jaisalmer	140	7	147	4.23	5.08	9.31
19	Jalor	274	13	287	8.26	9.92	18.18
20	Jhalawar	252	5	257	7.40	8.88	16.28
21	Jhunjhunu	301	19	320	9.21	11.06	20.27
22	Jhodhpur	466	62	528	15.20	18.24	33.44
23	Karauli	227	9	236	6.79	8.15	14.95
24	Kota	155	97	252	7.25	8.71	15.96
25	Nagaur	467	21	488	14.04	16.86	30.91
26	Pali	321	30	351	10.10	12.13	22.23
27	Pratapgarh	165	4	169	4.86	5.84	10.70
28	Rajsamand	207	9	216	6.22	7.46	13.68
29	Sawai Madhopur	200	12	212	6.10	7.32	13.43
30	Sikar	343	20	363	10.45	12.54	22.99
31	Sirohi	162	13	175	5.04	6.05	11.08
32	Tonk	230	13	243	6.99	8.40	15.39
33	Udaipur	544	12	556	16.00	19.21	35.21
	Total	9894	784	10678	307.31	368.92	676.24


(डॉ. जितेंद्र राम)


आयुक्त

दिनांक: ५/७/१७

क्रमांक:— सप्राशिष्य / जय / औ.सि. / दिशा-निर्देश / CRC / 2017-18 / 3602

प्रतिलिपि :—

- निजी संचिव, शासन संचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी संचिव, आयुक्त, राप्राशिष्य, जयपुर।
- निर्देशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्डकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के सम्बन्धित उपयोग हेतु उपनिर्देशकों / जि.सि.अ./ बीईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करायें।
- नियन्त्रक वित्त, राप्राशिष्य, जयपुर।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिनाप 6 तारीख तक राप्राशिष्य, जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करायें।
- जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
- रहित पत्रावली।


(बृज मोहन नागिया)
उपायुक्त

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

बॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, बौद्धक-५, जवाहर लाल नेहरू गार्ड,
जयपुर-३०२०१७

दूरभाष नं.०१४१- २७१२३७६

क्रमांक:- सरकूलशिप/जय/वै.शि./प्रिया-गिरेश/CRC/2018-19/ ७३२३

Email- rajssa_as@yahoo.co.in

दिनांक:- ८/१०/१८

दिशा-निर्देश

संकुल संदर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant)

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2018-19 में 10424 पीईईओ एवं शहरी नोडल (सीआरसी) को संकुल संदर्भ केन्द्र के कार्य संचालन बाबत सीआरसी ग्रान्ट का प्रावधान किया गया है। जिलेवार वार्षिक कार्य योजना में प्रावधान का विवरण संलग्न है। जिनकी ईकाई लागत प्रत्येक संकुल संदर्भ केन्द्र कार्यालय हेतु निम्न प्रकार हैः-

कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट	11,389 रुपये वार्षिक
मीटिंग व टी.ए	9,491 रुपये वार्षिक
टीएलएम ग्रान्ट	2,847 रुपये वार्षिक

इस प्रकार प्रति सीआरसी कुल राशि रुपये 23,727 वार्षिक की दर से राशि रुपये 2473.29 लाख का अनुमोदन किया गया है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं शहरी क्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा के समस्त शहरी नोडल कार्यालयों को संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) का काम सम्पादा गया है। उक्त ग्रान्ट्स अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालयों को भेजते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को उपरोक्तानुसार राशि हस्तान्तरित कर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के शहरी नोडल को प्रावधानानुसार राशि हस्तान्तरित करने हेतु निर्देशित करें। सीआरसी ग्रान्ट के उपयोग के संबंध में संक्षिप्त दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैः-

- मीटिंग व टी.ए ग्रान्ट्स में से संकुल संदर्भ केन्द्र कार्यालय पर मीटिंग हेतु अल्प आहार एवं मीटिंग में उपस्थित होने पर नियमानुसार टी.ए, डी.ए. का भुगतान संबंधित कर्मचारी को किया जा सकेगा।
- कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट 11389 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र के ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को आवंटित की जायेगी। इस राशि में से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष एवं राजकीय कार्यालयों द्वारा करवाये जा रहे २०१८-१९ कार्य जैसे- शाला दर्शन, शाला दर्पण, शाला सिद्धि, आरटीई पोर्टल इत्यादि की प्रविष्टि का व्यय शामिल है। क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर की जाकर व्ययों के भुगतान का इन्द्राज रोकड़ बही में किया जायेगा।
- पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं शहरी नोडल अधिकारी अपने अधीन विद्यालयों में शैक्षिक संबलन प्रदान करने, सूचना प्राप्त करने के लिए विजिट करने पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार एवं राजकीय नियमानुसार वास्तविक टीए का भुगतान प्राप्त करेंगे।
- प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं प्रत्येक शहरी नोडल कार्यालय को अपने अधीनस्थ विद्यालयों के शिक्षकों को संबलन प्रदान करने तथा विज्ञान, गणित व सामाजिक अध्ययन विषय में शैक्षिक नवाचार अपनाने एवं टीएलएम निर्माण हेतु टीएलएम ग्रान्ट 2847 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
- समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक उपर्युक्त राशि का व्यय किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर परिषद् को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रभुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. नियन्त्रक वित्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
6. जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएमएसए, समस्त जिले।
7. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
8. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक



उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पीईईओ/शहरी नोडल
(पीईईओ/शहरी नोडल का नाम) को सत्र..... में प्राप्त राशि रु. का उपयोग
निम्नानुसार कर लिया है।

क्र. सं.	आवंटित राशि			खर्च की गई राशि			शेष राशि		
	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम ग्रान्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम ग्रान्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम ग्रान्ट



हस्ताक्षर
पंचायत प्रांरभिक शिक्षा अधिकारी/
प्रधानाध्यापक शहरी नोडल

Academic support through Cluster Resource Center Budget 2018-19
Districtwise CRC (Rural & Urban)

S.No.	District	Rural CRC (PEEOs)	Urban CRC (Nodal)	Total (C+D)	Contingency Grant @ 11389 (In Lac)	Meeting TA@9491 (In Lac)	TLM @ 2847 (In Lac)	Total (F+G+H)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	AJMER	282	62	344	39.180	32.650	9.790	81.620
2	ALWAR	512	19	531	60.480	50.400	15.120	126.000
3	BANSWARA	346	8	354	40.320	33.600	10.080	84.000
4	BARAN	221	7	228	25.970	21.640	6.490	54.100
5	BARMER	489	3	492	56.030	46.700	14.010	116.740
6	BHARATPUR	374	10	384	43.730	36.450	10.930	91.110
7	BHILWARA	384	21	405	46.130	38.440	11.530	96.100
8	BIKANER	290	14	304	34.620	28.850	8.650	72.120
9	BUNDI	183	9	192	21.870	18.220	5.470	45.560
10	CHITTORGARH	290	36	326	37.130	30.940	9.280	77.350
11	CHURU	254	28	282	32.120	26.760	8.030	66.910
12	DAUSA	234	3	237	26.990	22.490	6.750	56.230
13	DHOLPUR	171	5	176	20.040	16.700	5.010	41.750
14	DUNGARPUR	291	5	296	33.710	28.090	8.430	70.230
15	GANGANAGAR	336	18	354	40.320	33.600	10.080	84.000
16	HANUMANGARH	251	13	264	30.070	25.060	7.520	62.650
17	JAIPUR	532	65	597	67.990	56.660	17.000	141.650
18	JAISALMER	140	7	147	16.740	13.950	4.190	34.880
19	JALORE	274	10	284	32.340	26.950	8.090	67.380
20	JHALAWAR	252	5	257	29.270	24.390	7.320	60.980
21	JHUNJHUNU	301	16	317	36.100	30.090	9.020	75.210
22	JODHPUR	466	41	507	57.740	48.120	14.430	120.290
23	KARAULI	227	6	233	26.540	22.110	6.630	55.280
24	KOTA	155	34	189	21.530	17.940	5.380	44.850
25	NAGOUR	467	14	481	54.780	45.650	13.690	114.120
26	PALI	321	18	339	38.610	32.170	9.650	80.430
27	PRATAPGARH	165	2	167	19.020	15.850	4.750	39.620
28	RAJSAMAND	207	4	211	24.030	20.030	6.010	50.070
29	S.MADHOPUR	200	3	203	23.120	19.270	5.780	48.170
30	SIKAR	343	14	357	40.660	33.880	10.160	84.700
31	SIROHI	162	6	168	19.130	15.940	4.780	39.850
32	TONK	230	12	242	27.560	22.970	6.890	57.420
33	UDAIPUR	544	12	556	63.320	52.770	15.830	131.920
TOTAL		9894	530	10424	1187.190	989.330	296.770	2473.290